

अंतराल क्र. 530 प्रश्न 607  
मानवीय विकास, 21-प्रतिकारक जा 29  
सक से 23/12/2020 का दिनांक - 30/12/2020

परिचित

13

[ भाग III—खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

45

(5) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करंट लाइनों के लिए जमीन से अंतराल नीचे दी गई ऊंचाई से कम नहीं होगा:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	जमीनी अंतराल (मीटर)
1.	100 के.वी	6.1
2.	200 के.वी	7.3
3.	300 के.वी	8.5
4.	400 के.वी	9.4
5.	500 के.वी	10.6
6.	600 के.वी	11.8
7.	800 के.वी	13.9

(6) जमीनी अंतराल अनुसूची X के अनुसार होगा ।

59. सुचालकों तथा ट्रॉली वायरों के बीच अंतराल - (1) ट्रॉली वायर का उपयोग करने वाली ट्रॉली अथवा ट्राम-वे को पार करने वाली ओवरहेड लाइनों के सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर कम से कम निम्नलिखित ऊंचाई पर रहेंगे -

(i) 650 वो. तक वोल्ट वाली लाइनें - 1.2 मी.

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ बीयरर वायर से लटकने वाला इंसुलेटेड सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे इंसुलेटेड सुचालक के लिए न्यूनतम अंतराल 0.6 मी. होगा ।

(ii) 650 वो. से अधिक और 11000 वो. तक और - 1.8 मी.  
सहित वोल्ट वाली लाइनें

(iii) 11000 वो. से अधिक किन्तु 33000 वो. तक - 2.5 मी.  
वोल्ट वाली लाइनें

(iv) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइनें - 3.0 मी.

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में, जो भी व्यक्ति बाद में लाइन बिछाता है, वह अपनी लाइन तथा कथित उप-विनियम के अनुसार क्रॉस होने वाली लाइन के बीच अंतराल रखेगा।

परन्तु नीचे की लाइन बाद में बिछाते वाला यदि पर्याप्त अंतराल रखने में असमर्थ है, तो इस उप-विनियम के अनुपालन में ऊपर की लाइन में बदलाव की लागत वहन करेगा ।

60. 650 वो. से अधिक वोल्ट की लाइनों और सर्विस लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी ।

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा. अर्थात्: -

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवाँ छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर बायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, सम्मिलित है।

61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.  
तक और सहित वोल्ट वाली

लाइन के लिए

- (ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी. + 0.30  
लाइन के लिए  
मी. प्रत्येक  
अतिरिक्त 33,000  
वो. या इसके भाग  
के लिए


(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारत के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

- (i) 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए - 1.2 मी.
- (ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए - 2.0 मी.
- (iii) 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली लाइन के लिए - 2.0 मी. + 0.3 मी.  
प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी.  
अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.वी.	4.6	2.9
2	200 के.वी.	5.8	4.1
3	300 के.वी.	7.0	5.3
4	400 के.वी.	7.9	6.2
5	500 के.वी.	9.1	7.4
6	600 के.वी.	10.3	8.6
7	800 के.वी.	12.4	10.7

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी।

  
अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल